श्रम विभाग

आदेश

1 अक्तूबर, 1983

सं० ओ. वी./करनाल/94-82/53335.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज सुपर टायर प्रा० लि०; 71/3 मिल स्टोन, जी०टी० रोड, करनाल के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है:

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है:—

1. क्या श्रमिकों को काम के अनुसार वेतन व पद नहीं दिये गए है ? यदि नहीं, तो वे किस लाभ के हकदार है ?
2. क्या कारखाने को श्रमिक सिनियोटी लिस्ट प्राप्त करने के हकदार हैं? यदि हां तो वे किस विवरण से?
3. क्या श्रमिक न्यूनतम वेतन पिछला देय सहित लेने के हकदार हैं? यदि हां तो वे किस विवरण से?
4. क्या श्रमिक सलाना, इत्फाकिया, गजटिड छुट्टियां कानून के अन्तर्गत लेने के हकदार हैं? यदि हां तो वह किस विवरण से?
5. क्या श्रमिक ओवर टाईम के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण से?
6. क्या श्रमिक महंगाई के बिन्दु के लाभ आंकड़ा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लेने के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण से ?
7. क्या कारखाना के श्रमिक गृह की सुविधा के हकदार हैं ? यदि हां तो दिस विवरण से ?
8. क्या मशीन पर कार्यरत श्रमिकों के आंख के बचाव के लिए किसी सुविधा की आवश्यकता है ? यदि हां तो किस विवरण से ?

एस० सी० गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

LABOUR DEPARTMENT

ORDER

The 26th September,

No. ID/HSR/6-83/51777.—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists ,between the workman and the management of M/s Haryana Oxygen Ltd., 7th K. M. Delhi, Road, Hissar,regarding the matter hereinafter appearing ;

And whereas the Governor of Haryana considers it desirable to refer the dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Industrial Tribunal, Haryana, Faridabad, constituted under section 7-A of the said Act, the matters specified below being either matters in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and the workmen for adjudication :—

Whether the workman are entitled to the grant of bonus @20 per cent for the years 1980-81 and 1981-82 ? If so, with what details?

K. G. VERMA

Commissioner Secretary to Government, Haryana,
Labour and Empployment Departments.